<u>संख्या-90/2025/786/सैंतीस-2-2025/001-1(25)/2017टीसी</u>

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-14 मई, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहत् पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-118/प0-2/पं.दी.द.उ.वृ.प.आ.मेला(म.स्तर)/25-26, दिनांक-06.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-24-पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहत् पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा.यो.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-264.75 लाख (रूपये दो करोड़ चौसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
02-मजदूरी	1.35
04-यात्रा व्यय	9.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.50
18-प्रकाशन	7.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	17.00
39-औषधि तथा रसायन	144.50
42-अन्य व्यय	75.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	3.60
योग-	**264.75**

(रूपये दो करोड़ चौसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(5) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन/हस्तान्तरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

(9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001022400 (पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु	02 मजदूरी	1,35,000 (रुपये एक लाख पैंतीस हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)		मात्र)
2	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	04 यात्रा व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
3	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
4	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
5	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	18 प्रकाशन	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
6	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
7	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	39 औषधि तथा रसायन	1,44,50,000 (रुपये एक करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार मात्र)
8	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	42 अन्य व्यय	75,50,000 (रुपये पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
9	015	2403001022400 पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	3,60,000 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**2,64,75,000 (रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	2,64,75,000 (रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-90/2025/786(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(25)/2017टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।